



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

Most Immediate
RBA No. 18/2020
GST Circular No. 10/2020

2016/AC-II/01/06(CRIS)

19.02.2020

General Managers,
All Zonal Railways/ Production Units

Sub : Availment/Adjustment of Input Tax Credit (ITC)-Interest thereof.

Ref : Railway Board's Circular (RBA No. 68/2018 dated 25.6.2018)

Kindly connect Railway Board's GST Circular ibid, wherein guidelines were brought out for capturing ITC to be offset with output tax liability. Following guidelines are reiterated:-

- All the Zonal Railways/Production Units should with the help of GST Consultants engaged by them, avail the ITC with due diligence;
- In respect of Services rendered by Zonal Railways for Transportation of Passenger and Goods by rail, **ITC is available for GST paid relating to procurement of services only.**
- It shall be the responsibility of respective offices of Zonal Railways/Production Units, who are making vendor payment to correctly identify the appropriate ITC and prove it to the GST authorities (if need arises).

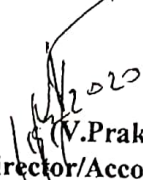
In the letter ibid, it was also mentioned that since there is interest penalty, where a taxable person makes undue or excess reduction of output tax liability or undue or excess claim of ITC. Therefore utmost importance should be given for availing correct ITC.

The issue relating to applicable interest rate in case of excess claim of ITC made earlier and now paid to the Department, has been examined in consultation with GST Consultants who have opined as follows " As per section 50(3) of the CGST Act, 2017, when any registered person makes undue or excess claim of ITC under section 42(10) of the CGST Act, 2017 an interest @24% on such undue or excess claim of ITC shall be payable. It is important to note here that section 50(3) of the CGST Act, 2017 is applicable in case of availment of excess credit on account of reasons mentioned under section 42(10) of the CGST Act, 2017, which is related to excess availment of ITC for invoices not uploaded by supplier in his returns i.e does not get reconciled with GSTR-2A of the Railways". In view of

19/2/2020

P.T.O

this it is inferred that where ITC flagging has been done wrongly, section 50(1) of the CGST Act, 2017 shall be applicable and accordingly interest @ 18% per annum shall become payable. However, it shall be the responsibility of the concerned Principal/Zonal Railways and Production Units not only to check the interest calculations provided by CRIS/GSP but also to observe laid down due diligence and obtain the sanction of competent authority, duly concurred in by associate finance concurrence. This issues with the approval of competent authority.


(V. Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board;
4. Director/ Finance, CRIS, New Delhi;
5. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (railway board)

अति तत्काल
आरबीए सं. 18/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 10/2020

सं. 2016/एसी-II/01/06(क्रिस)

19.02.2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान(आईटीसी) का लाभ उठाना/समायोजन-उसका ब्याज
संदर्भ : रेलवे बोर्ड का परिपत्र (दिनांक 25.06.2018 का आरबीए सं. 68/2018)

कृपया रेलवे बोर्ड के उपरोक्त जीएसटी परिपत्र का अवलोकन करें जिसमें आउटपुट टैक्स देयता के बराबर आईटीसी प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं । निम्नलिखित दिशानिर्देश दोहराए गए हैं :-

- क) सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां उनके द्वारा नियुक्त जीएसटी परामर्शदाताओं की सहायता से सम्यक तत्परता के साथ आईटीसी का लाभ उठाएं;
- ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेलगाड़ी से यात्रियों तथा माल के परिवहन के लिए दी गई सेवाओं के संबंध में आईटीसी केवल सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में भुगतान किए गए जीएसटी के लिए ही उपलब्ध है ।
- ग) उपयुक्त आईटीसी की सही पहचान करने और जीएसटी प्रधिकारियों को इसका प्रमाण देने (यदि आवश्यकता हो) की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के संबंधित कार्यालयों की होगी जो वेंडरों को भुगतान कर रहे हैं।

उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि जहां करयोग्य व्यक्ति आउटपुट टैक्स देयता से अनुचित या अधिक कटौती करता है अथवा आईटीसी पर अनुचित या अधिक दावा करता है तो उस स्थिति में ब्याज दंड है। अतः सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

पहले से आईटीसी का अधिक दावा किए गए मामलों और अब विभाग को जिनका भुगतान कर दिया गया है, में लागू ब्याज दर से संबंधित मुद्दे की जांच जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से की गई, जिन्होंने निम्नलिखित राय दी है, "सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 50(3) के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यक्ति आईटीसी पर अनुचित या अधिक दावा करता है तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 42(10) के तहत आईटीसी के ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का खंड 50(3) उस मामले पर लागू है जहां अधिक क्रेडिट उन मामलों में हासिल किया गया है जिनका उल्लेख सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 42(10) में किया गया है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके रिटर्न में अपलोड न किए गए बीजकों अर्थात् जिनका रेलों के जीएसटीआर-2ए के साथ समाधान नहीं किया गया है, पर प्राप्त किए गए अधिक आईटीसी से संबंधित है। इसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जहां भी आईटीसी फ्लैगिंग गलत की गई है वहां सीजीएसटी अधिनियम 2017 का खंड 50(1) लागू होगा और तदनुसार 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। हालांकि, संबंधित प्रधान/क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे न केवल क्रिस/जीएसपी द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्याज परिकलन की जांच करें साथ ही निर्धारित सम्यक तत्परता भी अपनाएं और विधिवत् रूप से सहवित की सहमति से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करें। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी.प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड